

2
176
26/5/22

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकान रामगढ जिला-अलवर

बनाम अजय कुमार वर्मा
किसम मुकदमा प्रा.पञ्च 212 नं० 2/176 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	----------------------------------	--

26.05.2022

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जयें एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 28.07.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 825 रकबा 0.05, 841 रकबा 0.11 हैक्टे० वाकेग्राम तिलवाड तहसील रामगढ जिला अलवर की आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रिकार्ड व मौके कि यथा स्थिती बनाये रखे व रहन बैय ना करे। बशर्ते प्रार्थी साधारण/रजिस्टर्ड ए०डी० से दिनांक 28.07.2022 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० हो। पत्रावली दिनांक 28.07.2022 को पेश हो।

(Signature)
उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

28/07/22

वादों के वकील/वकूला उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
अजय कुमार वर्मा को पेश किया
नकल दिलाई गई। वास्तु तलबी पत्रावली
दिनांक 25/10/22 को पेश हो। *(Signature)*

25/10/22

वादों के वकील/वकूला उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
अजय कुमार वर्मा को पेश किया
नकल दिलाई गई। वास्तु तलबी पत्रावली
दिनांक 25/10/22 को पेश हो। *(Signature)*

फर्द अहकाम

अदालत का कार्यालय मुकाम गोविन्दगढ़ (अलवर)
 उपखण्ड अधिकारी बनाव अजय कुमार
 मुख्यालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
-------------	----------------------------------	----------------------------------

07.11.23 ...वकील ...
 साबिक आदेश दिनांक 2-6-22
 की पालना में पत्रावली वास्ते तारीख 05/11/23
 दिनांक 21.11.23 को पेश हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

21.12.23 वकील
 साबिक आदेश दिनांक 28.5.22
 की पालना में पत्रावली वास्ते तारीख 05/11/23
 दिनांक 18.1.24 को पेश हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

18.1.24 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील तारीख अनुरोधित वकील व उनके हाथों के बार-बार भाषण दिलायी गई साथ 5:00 बजे तक इंतजार किया गया। तथा सुन: भाषण दिलायी गई उसके बाद वकील व उनके हाथों उपस्थित नहीं आये। अतः तारीख 18-1-24 को वकील व उनके हाथों की अहम हाजिरी - अहम फर्दों में खारिज किया जात है। पत्रावली फेरल नम्बर से क्रम है। बाद शामिल तद्वलील हुए वाद के साथ संलग्न है।
 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज